

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

हरनाथ वर्मा वगैरे बनाम रामेश्वर सिंह वगैरे
 मुकदमा नं० 66 सन् 2018

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
55/18	<p>वकील वादीगण श्री रामेश्वर लाल तेतरवाल ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा फर्द मजिस्ट्रेट किया जाये। प्रतिवादीगण की तलबी जरिअत नम्बन की जाकर पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा सेन्टर बरसिंहपुरा में पेश होदिनाँड 08-06-2018 को पेश हो।</p> <p>08⁰⁶/₁₈ पत्रावली आज राजस्व लोड अदालत न्याय आपडे द्वारा अभिमान 2018 के तहत कैम्प स्थल अटल सेवा सेन्टर, बरसिंहपुरा में पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 तथा 2 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादीगण की पहचान श्री रामेश्वर लाल तेतरवाल ए. ने तथा प्रतिवादी सं. 1 तथा 2 की पहचान श्री बनवारी लाल जांगू ए. ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनकर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पक्षकारान द्वारा स्वी होना स्वीकार किया गया। अतः हाजिरादिनाँड में पक्षकारान राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने मुताबिक राजीनामा दावा डिफ्री करमाया जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर अभिधारी तहमीलदार खण्डेला ने कोई आपत्ति जाहिर नही की।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से एवं लोड अदालत की आज्ञा से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाना है तथा व्योषण की जाती है कि :-</p> <p><u>आदेश</u></p> <p>तन ग्राम बरसिंहपुरा तहमील खण्डेला जिला सीडर अवस्थित कृषि भूमि प्लॉट नं. 298</p>	<p>4395-4398 17578</p> <p>हरनाथ वर्मा</p> <p>हरनाथ वर्मा</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
-------------	---------------------------------------

रकबा ०.५७ हे० का अडैले वादीगण को खातेदार
 कार्तकार घोषित किया जाता है तथा ख.नं. २७७
 रकबा ०.६७ हे० का अडैले प्रतिवादी सं. १ को
 खातेदार कार्तकार घोषित किया जाता है एवं
 वादीगण के पिता का नाम राजार रेकार्ड में
 "माल्या पुत्र जोधा" के स्थान पर "मालीराम
 पुत्र जोधाराम" सुकात किया जाकर उक्त ख.नं.
 २७८ एवं २७७ से मूलतः माल्या पुत्र जोधा का
 नाम हजत किया जाता है। प्रतिवादी सं. ५ का
 रदन ख.नं. २७७ रकबा ०.६७ हे० पर दर्ज किया
 जावे। उक्तानुसार राजार रेकार्ड में अमल दरमद
 हे तदनुसार प्रकरण में पचासि फी सुतीव हो।
 पचासली उमल सुमार होकर नम्बर के हुम हो तथा
 काय तजमील काजिल दर्ज हो। निर्णय मजमे
 आम सुनाया गया।



8/6/8

बागीरथ राव
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेरा (सिंगर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम: खण्डेला (सीकर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

① हरनाथ .x. बनाम ① रामेश्वर सिंह .x.

दावा बाबत प्योषणा, तडास्मा व पुन्नाली रेकार्ड

मुकदमा नम्बर :- 68/2018

निर्णय दिनांक :- 08-06-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी


मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री रामेश्वर लाल तैतरणल ए

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम बरसिहपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर अवस्थित रुबि भूमि ख
नं 298 रकबा 0.47 हे० का अडेले गडीगण के खातेदार
काश्तकार कोषित डिग जाता है तथा ख. नं. 299 रकबा
0.69 हे० का अडेले प्रतिवादी खण के खातेदार काश्तकार
कोषित डिग जाता है एवं गडीगण के पिला का नाम राजान
रेकार्ड में " भाल्या उत्र जोषा " के स्थान पर " मालीराम .x.

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

ह आज दिनांक 8/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
<p>वाद पत्र के लिए स्टाम्प</p> <p>शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</p> <p>दर्शा के लिए स्टाम्प</p> <p>..... रुपये पर प्लीडर की</p> <p>साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय</p> <p>कमिश्नर की फीस</p> <p>आदेशिका की तामील</p>	<p>शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</p> <p>अर्जी के लिए स्टाम्प</p> <p>प्लीडर की फीस</p> <p>साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय</p> <p>आदेशिका की तामील</p> <p>कमिश्नर की फीस</p>
जोड़	जोड़

08 ⁰⁶/₁₈ वादीगण एवं प्रतिवादी सं.। ता ३ की ओर
 से राजीनामा पत्रा हुआ। वादीगण की पहचान
 श्री रामेश्वर लाल तेलवाल एड. ने की तथा
 प्रतिवादी सं.। ता ३ की पहचान श्री बनवारी
 लाल जांशू एड. ने की। उपस्थित पक्षकारान
 को राजीनामा पत्रा सुनाया गया जिले सुन
 व समझ कर उपस्थित पक्षकारान दुबारा लही
 होना नकीकार किया गया। अतः हर-बल्लादिस,
 पक्षकारान राजीनामा तस-की-उ किया जाना है।
 राजीनामा शामिल पत्रावली रहे।

(Signature)

वादीगण

हरनाथ

प्रहलाद

मे वादीगण की पहचान
 करता हूँ।

(Signature)

8/6/18

प्रति

(Signature)



मे प्रतिवादी सं.। ता
 करता हूँ।

(Signature)